भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 831

23 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

तमिलनाडु में पीएमएवाई-यू 2.0 योजना

831. **डॉ. कलानिधि वीरास्वामीः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 के शुरू होने के बाद से आवंटित की गई, जारी की गई और उपयोग की गई कुल निधि कितनी है, साथ ही केंद्रीय बजट 2026-27 में किया गया आवंटन कितना है;

(ख) पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत किए गए, निर्माण के लिए शुरू किए गए और पूरे किए गए घरों की राज्य वार, विशेषकर तमिलनाडु में संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) और कम आय वाले समूहों (एलआईजी) के लिए नियत लक्ष्यों की तुलना में पीएमएवाई-यू 2.0 की प्रगति का आकलन किया है और यदि हॉ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) निधि जारी करने या परियोजना पूरी करने और विशेषकर शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में लंबित परियोजनाओं में विलंब के कारण, यदि कोई हो, क्या हैं; और

(ङ) पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत घरों को समय पर पूरा करने, केंद्रीय सहायता जारी करने और गुणवत्ता व किफायत की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ङ): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) देशभर के पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं सहित सभी मौसमों के अनुकूल पक्के आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 25.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) का कार्यान्वयन कर रहा है। पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभवों से मिली

सीख के आधार पर एमओएचयूए ने योजना में बदलाव करते हुए 01.09.2024 से शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए पीएमएवाई-यू 2.0 - 'सबके लिए आवास' मिशन प्रारंभ किया है। पीएमएवाई-यू 2.0 का कार्यान्वयन चार घटकों अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) तथा ब्याज सहायता योजना (आईएसएस) के माध्यम से किया जा रहा है। योजना के संचालन दिशा-निर्देश https://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/Operational-Guidelines-of-PMAY-U-2.pdf लिंक पर उपलब्ध हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर योजना के प्रारंभ से अब तक मंत्रालय द्वारा कुल 127.68 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत 16.20 लाख आवास शामिल हैं। इन 127.68 लाख आवासों में से 121.02 लाख आवासों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है तथा 99.07 लाख आवासों के निर्माण कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं/लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। पीएमएवाई-यू तथा पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत अब तक कुल 2.12 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता स्वीकृत की गई है, जिसमें से 1.81 लाख करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं तथा 1.74 लाख करोड़ रुपये का उपयोग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जा चुका है। तमिलनाडु सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पीएमएवाई-यू तथा पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत, निर्माणाधीन तथा पूर्ण किए गए आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

आवासों/परियोजनाओं को पूर्ण करने की समय-सीमा राज्य-दर-राज्य भिन्न होती है तथा सामान्यतः योजना के विभिन्न घटकों अथवा संबंधित परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार 12 से 36 माह का समय लगता है। आवासों के पूर्ण होने की समय-सीमा विभिन्न कारकों, जैसे अतिक्रमण मुक्त भूमि की उपलब्धता, निर्माण प्रारंभ करने के लिए सांविधिक अनुपालनों की पूर्ति तथा लाभार्थियों द्वारा धन राशि की व्यवस्था आदि पर निर्भर करती है।

मंत्रालय आवधिक समीक्षा बैठकों, वीडियो कॉन्फ्रेंस तथा क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से योजना की प्रगति की निगरानी करता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे स्वीकृत आवासों के निर्माण कार्य में तेजी लाएं ताकि उनका निर्माण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जा सके तथा केंद्रीय सहायता की आगामी किस्तों को जारी करने और उनके उपयोग के लिए निर्धारित अनुपालनों को समय पर प्रस्तुत किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, पीएमएवाई-यू 2.0 के संचालन दिशा-निर्देशों के अनुसार, मिशन के बीएलसी/एएचपी/एआरएच घटकों के अंतर्गत निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा चयनित तृतीय पक्ष गुणवत्ता निगरानी एजेंसियों (टीपीक्यूएमए) की व्यवस्था की गई है। टीपीक्यूएमए एजेंसियां परियोजना स्थलों का निरीक्षण करती हैं तथा गुणवत्ता संबंधी मुद्दों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और शहरी स्थानीय निकायों को परामर्श प्रदान करती हैं।

अनुलग्नक

दिनांक 23.07.2026 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 831 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएमएवाई-यू तथा पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भौतिक प्रगति का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत	निर्माणाधीन	पूर्ण/लाभार्थियों को सौंपे गए
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	261	261	234
2	आंध्र प्रदेश	19,67,971	18,70,787	11,38,126
3	अरुणाचल प्रदेश	14,287	13,005	9,495
4	असम	2,21,943	1,84,600	1,48,507
5	बिहार	4,66,855	4,25,630	2,02,188
6	चंडीगढ़	1,286	1,286	1,286
7	छत्तीसगढ़	3,46,253	3,08,753	2,68,384
8	दिल्ली	33,625	33,625	33,625
9	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	10,712	10,712	10,454
10	गोवा	3,180	3,180	3,180
11	गुजरात	11,35,670	10,40,736	9,93,987
12	हरियाणा	1,36,108	87,475	74,658
13	हिमाचल प्रदेश	14,034	13,429	12,142
14	जम्मू और कश्मीर	45,982	43,907	35,961
15	झारखंड	2,43,343	2,10,794	1,70,450
16	कर्नाटक	5,78,080	4,98,868	4,06,720
17	केरल	1,62,251	1,55,725	1,43,267
18	लद्दाख	1,138	1,071	1,009
19	मध्य प्रदेश	10,39,941	9,98,165	9,10,322
20	महाराष्ट्र	13,84,240	12,16,585	10,74,552
21	मणिपुर	56,047	51,225	24,046
22	मेघालय	8,692	4,580	3,138

23	मिजोरम	40,704	39,361	34,262
24	नागालैंड	37,223	32,164	30,228
25	ओडिशा	2,37,116	2,01,292	1,74,404
26	पुदुचेरी	19,752	19,269	12,923
27	पंजाब	1,58,768	1,35,494	1,05,497
28	राजस्थान	3,80,646	3,44,873	2,76,804
29	सिक्किम	301	301	220
30	तमिलनाडु	6,85,715	6,73,709	6,32,085
31	तेलंगाना	3,89,372	2,73,453	2,29,673
32	त्रिपुरा	92,213	88,966	82,942
33	उत्तर प्रदेश	21,60,179	20,41,278	17,25,799
34	उत्तराखंड	67,089	65,866	56,244
35	पश्चिम बंगाल	6,27,055	6,11,396	5,38,363
	कुल	127.68 लाख	121.03 लाख*	99.07 लाख*

* इसमें मिशन अवधि के दौरान जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत पूर्ण (3.42 लाख) तथा निर्माणाधीन (4.01 लाख) आवास शामिल हैं।